

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-97
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

स्कूली शिक्षा में असमानता

97. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लैंगिक और सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में असमानता को दूर करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में, विशेषकर राजस्थान के राजसमंद, ब्यावर और नागौर जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान बालिका शिक्षा में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा- स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना- को वर्ष 2018-19 से कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी, 2020 'समान और समावेशी शिक्षा' पर केंद्रित है, जो इस योजना को दर्शाता है कि किसी भी बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के कारण शैक्षिक अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है, जिनमें बालिकाएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनईपी में राज्यों और स्थानीय सामुदायिक संगठनों की साझेदारी के साथ शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए जेंडर को एक व्यापक प्राथमिकता के रूप में अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके

अतिरिक्त, एनईपी का उद्देश्य बालिकाओं को अधिक पहुंच प्रदान करने सहित पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना है।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना बालिकाओं और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के बच्चों तक पहुँचती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा आठ तक की बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफार्म और पाठ्य-पुस्तकें, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सीडब्ल्यूएसएन बालिकाओं को वजीफा, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित जेंडर-संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि जैसे विभिन्न मध्यवर्तनों को लक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने के लिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) संस्वीकृत किए गए हैं, जो एसईडीजी से संबंधित बालिकाओं के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय (एनएससीबीएवी) दूरस्थ, कम आबादी और दुर्गम पहुंच वाले क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जंगलों, जलमार्गों, नदियों आदि जैसी प्राकृतिक बाधाओं वाले बड़े निर्जन क्षेत्रों में संस्वीकृत किए जाते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य बालिकाओं, शहरी वंचित और अन्य वंचित बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के अंतर्गत समानता के तहत विभिन्न मध्यवर्तनों हेतु विशेष राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं पर भी बल दिया जाता है, ताकि नामांकन अभियान, प्रतिधारण और प्रेरणा शिविरों, जेंडर संवेदीकरण मॉड्यूल आदि को बढ़ावा देकर बालिकाओं के लिए पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। ऐसी परियोजनाओं में जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, इन्सीनरेटर, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रम राजस्थान के राजसमंद, ब्यावर और नागौर जिलों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान में 316 केजीबीवी और 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हैं। साथ ही, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6-12 तक की सभी बालिकाओं के लिए किशोरी बालिका कार्यक्रम और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
